

योजना में शामिलित सभी बस्तियों की 80A का निर्माण दिनांक 28.08.2021 को हो चुका है। प्रती पुष्ट सं 65/सी पर संलग्न है।

- नगर विकास योजना 2011 के अनुसार आवंटित भूमि का भू-उपयोग U-1 (वाणिज्यिक) है। जिसमें वाणिज्यिक योजना अनुमति है।
- योजना की भूमि में संपूर्ण अभिविधन की 80A की कारगरता अभिविधन द्वारा एवं वास्तव योजनाओं का प्राथमिकता अर्थन द्वारा किया गया है।
- योजना का अनुमतिपत्र सी.सी.टी (एल.टी) की 308 की धारा 2(क) दिनांक 03.11.2021 किया जा चुका है। जिसकी अनुमतिपत्र में अनुमतिपत्र शामिल है।
- योजना के भूखंडों पर पैदावार एवं सीट बैरल जलिया (जलपुर योजना भाग) विनियम 2020 के अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।
- योजना का निर्माण दिनांक 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- कार्य के भूखंडों के निम्नानुसार बंटे दिये गये हैं।
- एल.टी./एल.टी.आई के प्रस्तावित भूखंडों का गठन एल.टी./एल.टी.आई के अंतर्गत किया गया है।
- आवधिक विकास कार्य के अंतर्गत में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखंडों जलिया में रहने वाले जहाँ है, भूखंड संख्या 1,2,3,4,5,6,12 कुल 7 भूखंड क्षेत्रफल 721.72 वर्ग मीटर।

सहायक नगर निरीक्षक
जोन-11

सहायक नगर निरीक्षक
जोन-11

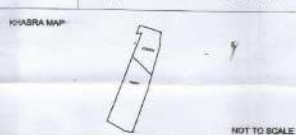
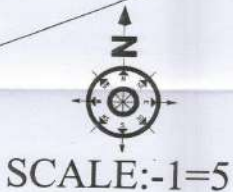
उपनिर्देशक
जोन-11

PROPOSED LAYOUT PLAN SHRI KRISHNA VILLA VILLAGE JAISINGHPURA BAS BHANKROTA TEHSIL SANGANER, JAIPUR

961
13
16.12-21

ROAD 30.00 Mtr.

ROAD 24.00 Mtr.



मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखंडों की निर्माण स्थिति :-

- पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखंड -
- बार सीमाएँ निर्मित भूखंड -
- खाली भूखंड -

नोट के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	RESIDENTIAL	5066.46	52.46%
2	RETAIL COMM.	48.00	0.50%
3	E.W.S.	236.48	02.45%
4	L.I.G.	294.99	03.05%
5	PARK	482.85	05.00%
6	RESERVE FOR WASTE DISPOSAL/UNUSABLE TOWNS	60.00	0.62%
7	ROAD	3468.21	35.92%
कुल योजना क्षेत्र		9656.99	100.00%

खातेदार का वाणिज्य क्षेत्र

जेडीए वाणिज्य क्षेत्र

जेडीए सेक्टर रोड

कुल सेक्टर रोड एवं वाणिज्य क्षेत्र

कुल खातेदार का क्षेत्र

343.01

10000.00

100.00%

योजना की भूमि की संपूर्ण अभिविधन की धारा 80A की कार्यवाही एवं नोट पर भूमि का प्रभावकारण में द्वारा किया गया। योजना की पूर्ण भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
सहायक नगर निरीक्षक

उपनिर्देशक

सी.सी.टी / जी.एल.सी. की धारा 308 की कार्यवाही

को अनुमतिपत्र में योजना मान्यता स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :-

VILLAGE :- JAISINGHPURA

TEH. :- SANGANER

ZONE NO. 11

SECTOR NO. 52

SCALE 1:-

DRG. NO.

S.T.P.

A.T.P. ZONE

D.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

EXISTING ROAD 12 MTR WIDE